

बाल विवाह मुक्त बिहार

विद्यालयों और टास्क फोर्स के लिए ‘सुरक्षा चक्र’ रणनीति

शिक्षा विभाग, बिहार सरकार द्वारा जारी आधिकारिक दिशा-निर्देशों पर आधारित

https://teachersofbihar.org/

तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता



27 नवम्बर

अंतर्राष्ट्रीय बाल विवाह रोधक दिवस

राष्ट्रीय महिला आयोग और समाज कल्याण विभाग के निर्देशों के आलोक में, शिक्षा विभाग द्वारा यह कठोर पहल की गई है।



बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006

विद्यालयों और समुदाय की सक्रिय सहभागिता से बाल विवाह का पूर्ण उन्मूलन।

https://teachersofbihar.org/

बाल विवाह रोकने के 4 मुख्य स्तंभ



https://teachersofbihar.org/

स्तंभ 1: सक्रिय निगरानी - 'ट्रैकिंग और एक्शन' प्रोटोकॉल

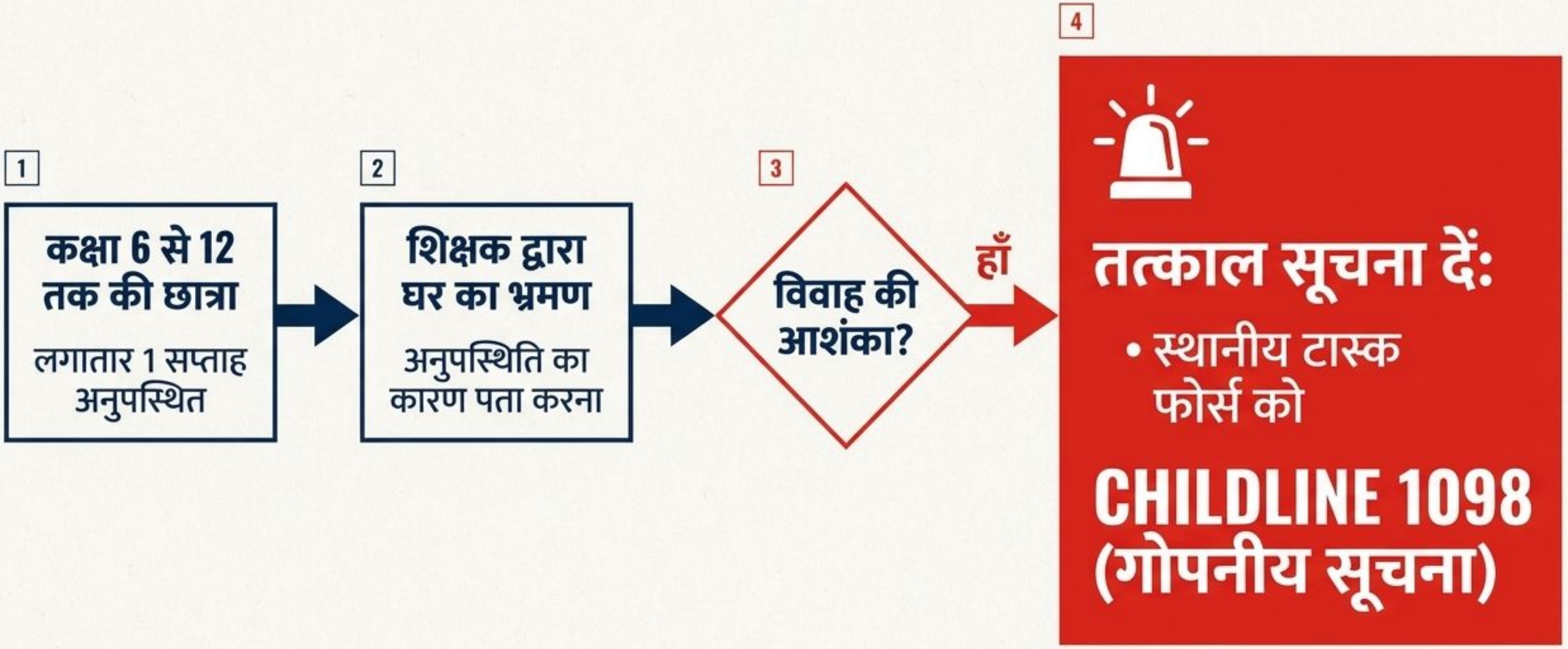

https://teachersofbihar.org/

स्तंभ 1: ड्रॉप-आउट 'Hot Spots' की पहचान और कार्रवाई

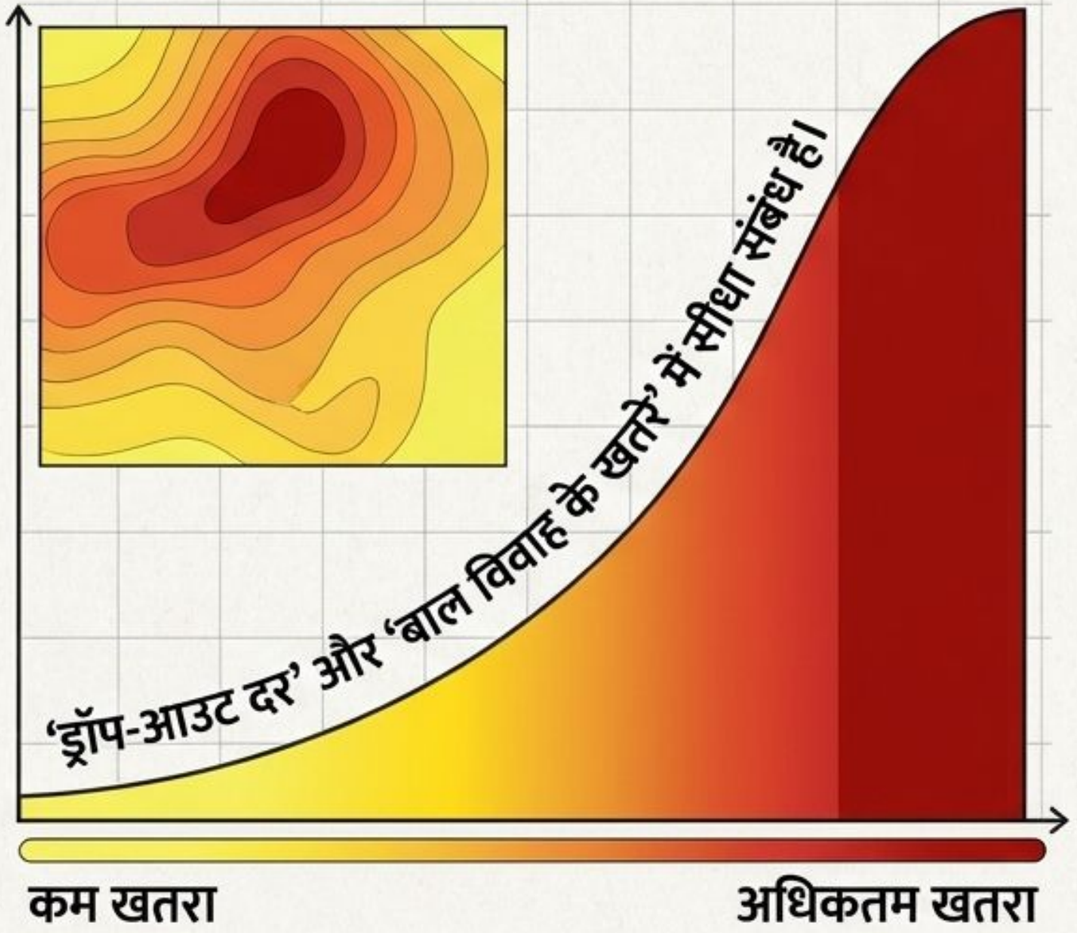

जिला शिक्षा पदाधिकारी (DEOs) अपने जिले में ऐसे "Hot Spots" की पहचान करेंगे जहाँ बालिकाओं का स्कूल ड्रॉप-आउट रेट सबसे अधिक है।

टारगेट: घर-घर अभियान

लक्ष्य: बालिकाओं को वापस विद्यालय से जोड़ना।

https://teachersofbihar.org/

स्तंभ 2: सघन जागरूकता - विद्यालय को बदलाव का केंद्र बनाना

'मीना मंच' एवं 'बाल संसद'

इन मंचों और किशोरी स्वास्थ्य कार्यक्रमों को बाल विवाह उन्मूलन का मुख्य साधन बनाएं।



'जागरूकता क्लब' का गठन

निबंध, वाद-विवाद, नुक्कड़ नाटक, और चित्रकला के माध्यम से निषेध का प्रचार।

बालकों में भी प्रसार

बालकों (छात्रों) के बीच भी बाल विवाह प्रतिषेध का व्यापक प्रचार-प्रसार अनिवार्य है।

https://teachersofbihar.org/

स्तंभ 2: चेतना सत्र और PTM – स्पष्ट और निरंतर संदेश

चेतना सत्र

सप्ताह में कम-से-कम एक दिन बाल विवाह के स्वास्थ्य, शैक्षणिक, कानूनी तथा मानसिक दुष्परिणामों पर अनिवार्य चर्चा।

PTM

अभिभावकों को जागरूक करने का सीधा मंच।



https://teachersofbihar.org/

स्तंभ 3: जमीनी समन्वय - सूचना का त्वरित नेटवर्क

किसी भी संभावित बाल विवाह की सूचना तुरंत प्राप्त करने के लिए स्थानीय इकोसिस्टम से संपर्क बनाए रखें।



https://teachersofbihar.org/

स्तंभ 3: टास्क फोर्स में अनिवार्य भागीदारी



शिक्षा विभाग के सदस्यों की टास्क फोर्स बैठकों में सक्रिय भागीदारी और शत-प्रतिशत (100%) उपस्थिति अनिवार्य है।

https://teachersofbihar.org/

स्तंभ 4: प्रोत्साहन व सशक्तिकरण - शिक्षा जारी रखने का अस्त्र

बालिकाओं की पढ़ाई जारी रखने हेतु योजनाओं का समय पर लाभ देना सबसे मजबूत ढाल है।



इसे दृढ़ता से लाभुकों तक पहुँचाया जाए ताकि बालिकाएँ आर्थिक कारणों से शिक्षा न छोड़ें।

https://teachersofbihar.org/

कानूनी प्रावधान और दंड

विधिक आयु	The Penalty Box
बालक **21 वर्ष**	**सजा: 02 वर्ष तक कठोर कारावास**
बालिका **18 वर्ष**	**जुर्माना: 1 लाख रुपये जुर्माना अथवा दोनों**

विद्यालय के आसपास प्रमुखता से प्रदर्शित करें: CHILDLINE 1098

जवाबदेही और सतत अनुश्रवण

उपरोक्त सभी निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू हैं।

उपरोक्त निदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावी होंगे। इसे प्राथमिकता देते हुए प्रतिमाह कृत कार्रवाई का एक समेकित प्रतिवेदन जिला पदाधिकारी एवं विभाग को उपलब्ध कराया जाए। सभी RDD इसका सतत् अनुश्रवण करें।



सभी RDD (क्षेत्रीय शिक्षा उप-निदेशक) इसका सतत अनुश्रवण करेंगे।

https://teachersofbihar.org/

‘सुरक्षा चक्र’ - विद्यालय प्रमुखों के लिए चेकलिस्ट

- ✓ क्या लगातार अनुपस्थित छात्राओं की ट्रैकिंग हो रही है?
- ✓ क्या हॉटस्पॉट क्षेत्रों में घर-घर अभियान चलाया गया?
- ✓ क्या चेतना सत्र और PTM में बाल विवाह पर चर्चा हो रही है?
- ✓ क्या 'जागरूकता क्लब' सक्रिय है और 1098 प्रदर्शित है?
- ✓ क्या पंचायत/प्रखंड स्तर के टास्क फोर्स से जीवंत संपर्क है?

[हमारी सतर्कता, बेटियों का भविष्य।]

https://teachersofbihar.org/